भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 13

21.07.2025 को उत्तर के लिए

वन्यजीवों के हमलों के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा

13. श्री बैन्नी बेहनन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा केरल के आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का वन्यजीवों के हमलों में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों और घायल हुए व्यक्तियों को वर्तमान में दी जा रही अनुग्रह/मुआवजे की राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वन्य जीवों द्वारा की गई क्षति के कारण फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति से संबंधित मानकों और उसकी मात्रा में भी संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(घ) विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल में वन्यजीवों के हमलों से जिलावार कितने लोगों की मृत्यु हुई है; और

(ङ) मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न स्थिति को संभालते समय वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के बीच टकराव से बचने के लिए अपनाए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'वन्यजीवों के हमलों के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा' के संबंध में 'श्री बेन्नी बेहनन' द्वारा दिनांक 21.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *13 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ) मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन सहित वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से केरल सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। केरल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष और पिछले वर्ष मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण हुई मौतों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। तथापि, सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

i. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों नामक संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है, ताकि वन्य जीवों और उनके पर्यावासों का संरक्षण किया जा सके।

ii. मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में एक परामर्शिका जारी की गई थी। मंत्रालय ने दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर्विभागीय कार्रवाई करने, संघर्ष वाले प्रमुख स्थानों की पहचान करने, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने, त्वरित कार्रवाई दल की स्थापना करने, शीघ्र भुगतान के लिए अनुग्रह राशि की मात्रा की समीक्षा हेतु राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन करने, और प्रभावित व्यक्तियों की मृत्यु या घायल होने की स्थिति में अधिमानतः 24 घंटे के भीतर त्वरित राहत भुगतान करने के संबंध में दिशानिर्देश और निर्देश जारी करने की सिफारिश की गई है।

iii. मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2023 को मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

iv. केंद्र सरकार वन्यजीव और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं नामतः 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के तहत राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न कार्यकलापों जैसे - वन्य जीवों द्वारा किए गए उत्पात के लिए मुआवजा और वन्य जीवों के फसल क्षेत्रों में प्रवेश को रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का उपयोग करके जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण तथा क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता शामिल है।

v. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं नामतः 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' में मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान का भी प्रावधान है। मंत्रालय ने इन योजनाओं के तहत दिसंबर, 2023 में वन्य जीवों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में दिए जाने वाली अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा तथा इसका भुगतान भी राज्य द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों/इस संबंध में बनाए गए प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	**वन्य जीवों द्वारा किए गए नुकसान का प्रकार**	**अनुग्रह राहत की राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अशक्तता	10.00 लाख रूपये
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रूपये
iii.	मामूली चोट	25,000/- रुपये प्रति व्यक्ति तक उपचार की लागत
iv.	संपत्ति/फसल का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उनके द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाले नुकसान सहित पशुधन, फसलों और मानव जीवन की हानि के लिए मानकों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान करते हैं, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

vi. मंत्रालय, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान सहित अन्य संस्थानों के माध्यम से राज्य वन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षमता निर्माण सहायता भी प्रदान करता है।

vii. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(क) राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को इस अधिनियम की अनुसूची-I में आने वाले उन जीवों के शिकार के लिए अनुमति देने का प्राधिकार देती है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 11(1)(ख) राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन या किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम की अनुसूची-II के अंतर्गत आने वाले वन्य जीवों के शिकार के लिए अनुमति देने का प्राधिकार देती है, यदि ऐसे जीव मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो जाते हैं।

viii. मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में आम जनता को सुग्राही बनाने, मार्गदर्शन देने और सलाह देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवधिक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिनमें मीडिया के विभिन्न माध्यमों से सूचना का प्रसार करना भी शामिल है।

******

अनुबंध-I

"वन्यजीवों के हमलों के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 **को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या** *13 **के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

केरल राज्य में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण हुई मानव मौतों की संख्या

क्र. सं.	**जिला**	**2024-25**	**2025-26 (दिनांक 10/07/2025 तक)**
1	तिरुवनंतपुरम	3	-
2	कोल्लम	7	1
3	पथानामथिट्टा	2	-
4	अलाप्पुझा	2	-
5	कोट्टायम	3	-
6	इडुक्की	9	-
7	एर्नाकुलम	3	1
8	त्रिशूर	8	5
9	पलक्कड़	7	4
10	मलप्पुरम	8	3
11	कोझिकोड	1	-
12	वायनाड	5	1
13	कन्नूर	4	-
14	कासरगोड	5	2
	कुल	**67**	**17**

*****